

2024/11/11

**दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता तकसीम
डिक्री**

दिनांक :- 29/11/2026

वादीगण की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री नरेश कुमार अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर. ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

1. वादी सं. 1 नायब सिंह को प्राप्त भूमि:- तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता सं. 90/78 के प.नं. 42/254 (25) किला नं. 18/0.0843 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में, 23/0.0843 हैक. बजानिब पश्चिम दिशा में कुल 0.1686 हैक. नहरी खातेदारी, प.नं. 42/255 (36) किला नं. 1/4/0.009 हैक. बजानिब उत्तर दिशा में, 2/2/0.012 हैक. बजानिब उत्तर दिशा में कुल 0.021 हैक. नहरी खातेदारी इस प्रकार कुल 0.1896 हैक. नहरी खातेदारी ।

2. वादी सं. 2 दलीप सिंह को प्राप्त भूमि:- तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता सं. 90/78 के प.नं. 42/254 (25) किला नं. 18/0.0844 हैक. वादी सं.1 के चिपते ही पूर्व में (किला नं. 18 व 23 के मध्य में), 23/0.0843 हैक. वादी सं.1 के चिपते ही पूर्व में (किला नं. 18 व 23 के मध्य में) कुल 0.1687 हैक. नहरी खातेदारी, प.नं. 42/255 (36) किला

सहायक कलक्टर एव

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



नं. 1/4/0.009 हैक. वजानिव दक्षिण दिशा में, 2/2/0.012 हैक. वजानिव दक्षिण दिशा में कुल 0.021 हैक. नहरी खातेदारी इस प्रकार कुल 0.1897 हैक. नहरी खातेदारी।

3. प्रतिवादी सं.1 लखवीर सिंह को प्राप्त भूमि:— तहसील पीलीबंगा के चक 36 एमओडी के खाता सं. 90/78 के प.नं. 42/254 (25) किला नं. 18/0.0843 हैक. वजानिव पूर्व दिशा में, 23/0.0844 हैक. वजानिव पूर्व दिशा में कुल 0.1687 हैक. नहरी खातेदारी, प.नं. 42/255 (36) किला नं. 1/4/0.008 हैक. वादी सं 1 के चिपते हुए (मध्य में), 2/2/0.014 हैक. वादी सं.1 के चिपते हुए (मध्य में) की कुल 0.022 हैक. नहरी खातेदारी इस प्रकार कुल 0.1907 हैक. नहरी खातेदारी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 29/1/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3
सहायक कलक्टर एवं सप्लायर ऑफ़ जूरी (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी अर्द्धकाली एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा